

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

आदेश पत्र सं.	घारा अंतर्गत	घाय	तहसील
38/17	212 R+M	गाना-1	छबड़ा
बादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मोहम्मद अली खान	बनाम	शिवम जी	

वकील :- आदेश पत्रक वकील :-

दिनांक कार्यवाही एवं आदेश विविध संदर्भ

7/12	वकील द्वारा एक पत्र अंतर्गत घारा 212 R+M के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई। तलब क्रमांक 23-8-17 को पेश हो।	19/11/17	
19/12	वकील द्वारा एक पत्र अंतर्गत घारा 212 R+M के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई। तलब क्रमांक 23-8-17 को पेश हो।	11/11	विद्यार्थी अधिकारी के अभाव में कार्यवाही रुक गई। दिनांक 15/11/17 को पेश हो।
11/17	अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 11-10-17 को पेश हो।	11/11	विद्यार्थी अधिकारी के अभाव में कार्यवाही रुक गई। दिनांक 15/11/17 को पेश हो।
15/11	वकील द्वारा एक पत्र अंतर्गत घारा 212 R+M के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई। तलब क्रमांक 23-8-17 को पेश हो।		
22/11	वकील द्वारा एक पत्र अंतर्गत घारा 212 R+M के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई। तलब क्रमांक 23-8-17 को पेश हो।		
13/12	वकील द्वारा एक पत्र अंतर्गत घारा 212 R+M के विरुद्ध न्यायालय में पेश किया गया। मजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसार कार्यवाही शुरू की गई। तलब क्रमांक 23-8-17 को पेश हो।		
17/18	अन्य पीठासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण पत्रावली पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 31-1-18 को पेश हो।	31/18	विद्यार्थी अधिकारी के अभाव में कार्यवाही रुक गई। दिनांक 14/2/18 को पेश हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)

कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

9-7-24

पञ्जाबी पत्र उरी नकुलाय करीको उप-7 कारी का
 वाड आदेश 7 खिफत ॥ एवं धारा 151 CPC के कोरि
 के पुका से इठ प्रकार से खिरी उकार मी कोर
 कारिपछी कोपोखि मछी से जाली का जाली फर
 कोरि खिफत गाल से पञ्जाबी मंदल उकार
 उकर वाड नालीय बकरीय के दाखिल उकर

